



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22062026-273691
CG-MH-E-22062026-273691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3123]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2026/ज्येष्ठ 29, 1948

No. 3123]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2026/JYAISTHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 17 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20E के तहत

का.आ.3246(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) 07 अप्रैल 2026 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1709 तारीख 08 अप्रैल 2026 इसमें उसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के **वर्धा जिले** में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, **"वर्धा-नागपूर चौथी रेलवे लाईन"** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उचित ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20-(ए) की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् **"दैनिक जनसंग्राम"** एवं **"दैनिक आरवी टाइम्स"** 23 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 (ई) की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ई) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20-(ड) कि उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है की, राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में अत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा, जिला में सेलू तालुका के अंतर्गत का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भुसंपादन अधिकारी तथा उप-जिलाधिकारी (विपाविम), वर्धा के अधीन विशेष रेल परियोजना “वर्धा-नागपूर चौथी रेल्वे लाईन” रेल्वेमार्ग के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

अ. क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारण पद्धति	7/12 अनुसार कुलक्षेत्र (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	02/एलएक्यू-47/2024-25	चारमंडल	सेलू	मनोज ज्ञानेश्वर भोयर, निखिल ज्ञानेश्वर भोयर, दिपाली ज्ञानेश्वर भोयर,	251/अ	1	1.5000	0.1681
2				आनंदराव दौलतराव करडे	251/ब/1/अ	1	1.0600	0.0365
3				इंदुबाई ज. आनंदराव करडे	251/ब/1/ब	1	0.8100	
4				सुनिल आनंदराव करडे	251/ब/2	1	2.1100	0.0825
						कुल	5.4800 (हे.आर.)	0.2871 (हे.आर.)

[फा. सं.: G197/WR-NGP 4th Line/Charmandal Vlg/20E]

भुवनेश कुमार गुसा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th June, 2026

Under clause 20E of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 3246(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 1709, dated the 8 April 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-ii, section 3, Sub-section (ii), dated the 7 April, 2026 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Wardha- Nagpur 4th line” in Wardha District in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, “Dainik Jansangram” and “Dainik Arvi Times” dated 23 April 2026 under sub-section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, no objections were received and same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20 (E) of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project "Wardha- Nagpur 4th line" in the Taluka Seloo & district of Wardha, the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Village Name	Tahsil	Name of Landholder	Survey No.	Land holding in acres	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	02/LAQ-47/24-25	Charmandal	Seloo	Manoj Dhyaneshwar Bhojar, Nikhil Dhyaneshwar Bhojar, Dipali Dhyaneshwar Bhojar	251/A	1	1.5000	0.1681
2				Aanandroa Daulatrao Karde	251/B/1/A	1	1.0600	0.0365
3				Indubai J. Aanandrao Karde	251/B/1/B	1	0.8100	
4				Sunil Aanandrao Karde	251/B/2	1	2.1100	0.0825
						Total	5.4800 (Ha.)	0.2871 (Ha.)

[F.No.: G197/WR-NGP 4th Line/Charmandal Vlg/20E]

Bhuvnesh Kumar Gupta, Chief Administrative Officer (Construction).